न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 28/2020 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थी :– 1. वीला पुत्र अचला 2. गणेशा पुत्र अचला
3. बेसरा पुत्र खीमा 4. पीथा पुत्र खीमा
5. करसन पुत्र खीमा 6. मेतों पत्नि खीमा जाति रबारी,
निवासी हेमावास, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. तगा पुत्र मोड़ा 2. रामा पुत्र मोड़ा 3.शकरा पिता मोड़ा
4. भूरी पत्नि हरकेन 5. गणेशा पुत्र हरलाल 6. कृष्ण पुत्र हरलाल 7. सांवलाराम पुत्र महेन्द्रा 8. मसरूराम पुत्र महेन्द्रा 9. लीलादेवी पत्नि हरचन्द 10. वदूदेवी पत्नि महेन्द्रा 11. हमीराराम पुत्र तुलछाराम जाति मेघवंसी, निवासी हेमावास, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।
13. शाखा प्रबंधक– बी.सी.सी. बैक, सेड़वा।
14. शाखा प्रबंधक– एस.बी.आई.बैक, सेड़वा

वकील प्रार्थी :– श्री पवन धारीवाल

विप्रार्थी वकील :– बी.एल. पूनिया

निर्णय

दिनांक 16/2/23

प्रार्थी वीला पुत्र अचला वगैरा, जाति रबारी निवासी हेमावास तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक काश्तकार है। प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जाशुदा का खेत मौजा हेमावास पटवार हल्का फागलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा के खसरा सं. 9 रकबा 107.02 बीघा भूमि का आया हुआ है जिसमें प्रार्थी की वर्षों से रहवासी ढाणी आयी हुई हैं। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 के खसरा संख्या 6 रकबा 20.00 बीघा एवं विप्रार्थी संख्या 11 के खेत खसरा 133/7 रकबा 1.00 बीघा भूमि में से चलकर सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए रास्ता दिया जावे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर विप्रार्थीगण नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:27:34 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर चाहे गये रास्ते के संबंध तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थीगण के वकील ने कहा की प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है न्यायहित में प्रार्थीगण वकील ने मौका रिपोर्ट पर बहस सुनने का निवेदन किया गया ।

उभयपक्षकराण वकील की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार सेड़वा से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई उसी अनुसार रास्ते के आदेश किया जावे। सहायक कलेक्टर सेड़वा द्वारा दिनांक 31.08.2021 को निर्णय पारित कर रास्ता देने का निर्णय दिया गया। सहायक कलेक्टर सेड़वा के इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर में की गई।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा लिहाजा अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा आवेदन संख्या 28/2020 बअनवान वीला वगै.बनाम तगा वगै. में पारित आदेश दिनांक 31.08.2021 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए निकटतम दूरी वाला सेढे–सेढे रास्ता दिये जाने हेतू बाद समूचित सुनवाई हेतु निर्देशित किया गया उक्त निर्देशों की पालना में उभयपक्षकारन को समुक्षित सुनवाई के पश्चात तहसीलदार सेड़वा से पुन मौका रिपोर्ट मंगवाई गई तथा तहसीलदार सेड़वा के पत्र क्रमांक /भू.अ./2022/4091 दिनांक 27.12.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामील पत्रावली कीया गया।

तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम हेमावास के खसरा संख्या 9 रकबा 107.02 बीघा के खातेदार वीला पुत्र अचला वगैरा जाति रबारी, ने अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु ग्राम हेमावास के खसरा संख्या 6 रकबा 20.00 बीघा व खसरा संख्या 133/7 रकबा 1.00 में से रास्ते की मांग की गई। प्रस्तावित रास्ते पर एक खेजड़ी का पेड़ हे इसके अलावा उक्त प्रस्तावित रास्ते पर कोई मकान आदि नहीं है भूमि मौके पर खाली है जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में [illegible]	रास्ते की लं0 व चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित [illegible]	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:27:34 IST
Reason: SelfAttested

Rkalbi

1	रामा,शंकरा पिता मोडा,भूरी पत्नि हरकेन, तगा पुत्र मोडा, गणेशा पुत्र हरलाल, कुष्ण पुत्र हरलाल, सांवलाराम,मसरूराम पिता महेन्द्रा, लीलादेवी पत्नि हरचन्द कोम रबारी सा.देह खातेदार	6	3.2375	20	0.1133	हेमावास	28220	बा0दो
2	ळमीराराम पुत्र तुदछाराम कौम मेगवाल सा.देह खातेदार	133/7	0.1619 हैक्ट.	20	0.0081 हैक्ट.	हेमावास	2016	बारानी दोयम

प्रस्तावित रास्ते को सलंग्न नक्शे में बरंग लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी खेत तक पहुंचने हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है। ग्राम हेमावास की डीएलसी दर सिंचित सड़क पर प्रति बीघा 28220/– है। ग्राम हेमावास के खसरा संख्या 6 रकबा 3.2375 हैक्टर व 133/7 रकबा 0.1619 हेक्टर के खातेदार रामा,शंकरा पिता मोडा वगैरा सूचना के बावजुद मौके पर हाजिर नहीं मिले तथा विप्रार्थी तगा पुत्र मोडा फौत हो चुका है। उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़ सुन समझ कर ने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हेक्ट. में	रास्ते की ल0 व चौड़ाई, फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:27:34 IST
Reason: SelfAttested

	रामा,शंकरा पिता मोडा,भूरी पत्नि हरकेन, तगा पुत्र मोडा, गणेशा पुत्र हरलाल, कुष्ण पुत्र हरलाल, सांवलाराम,मसरूराम पिता महेन्द्रा, लीलादेवी पत्नि हरचन्द कोम रबारी सा.देह खातेदार	6	3.2375	20	0.1133	हेमावास	28220	बा0दो
2	हमीराराम पुत्र तुदछाराम कौम मेगवाल सा.देह खातेदार	133/7	0.1619 हैक्ट.	20	0.0081 हैक्ट.	हेमावास	2016	बारानी दोयम

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। तथा क्षतिपूर्ति की राशि डीएलसी दर की दो गुनी राशि प्रार्थी विप्रार्थीगण को अदा करेगें। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी दर निर्धारित की दो गुना राशि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:27:34 IST
Reason: SelfAttested

गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।

3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सेड़वा द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चिय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते के केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगें।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

7. तहसीलदार सेड़वा से पाप्त मौका रिपोर्ट पर बहस सुनीगई पत्रावली का अध्यनत अवलोकन किया गया मौका रिपोर्ट का विधिपूर्वक अध्यन करने के पश्यात प्रार्थना पत्र स्वीाकार करने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेशीत किया जाता है कि मौका रिपार्ट अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ते का अंकन किया जाना सुनिश्चित करे तथा साथ ही जितनी भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में आती है उतने की डीएलसी दर से दुगनी क्षतीपूर्ती की राशि अप्रार्थी को दिलवाई जाऐ यहां यह भी स्पस्ट किया जाता है कि पूर्व में अगर राशि का भुगतान किया गया है तो राशि का समायोजन किया जावें। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट इस निर्णय का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:27:34 IST
Reason: SelfAttested

अभिन्न अंग रहेगा। आज दिनांक 16.02.2022 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:27:34 IST
Reason: SelfAttested